भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1695

(जिसका उत्तर गुरुवार, 7 मार्च, 2013/16 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

सीएसआर के लिए निर्धारित निधियां

1695. श्री हर्ष वर्धन :

श्री प्रहलाद जोशी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गत तीन वर्षों के दौरान देश के दस सबसे बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा इनसे जुड़े गैर-सरकारी और अन्य संगठनों के लिए खर्च की गई कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) हेतु निर्धारित निधि के प्रतिशत का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सीएसआर के अंतर्गत खर्च की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस शीर्ष के तहत बडे औद्योगिक घराने अपेक्षित राशि से कम खर्च कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की सीएसआर के तहत खर्च के प्रतिशत में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) और (ख): संसदीय वित्तीय स्थायी समिति में चर्चा के पश्चात् मंत्रालय ने कुछ कंपनियों के सीएसआर पहलों के अध्ययन का कार्य राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान (एनएफसीजी) को सौंपा है। इस अध्ययन में स्थल दौरे और समुदायों, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों जैसे हितधारकों के साथ बैठकें शामिल हैं। यह अध्ययन शीघ्र ही पूर्ण होने की संभावना है।

(ग) और (घ): ऐसी सूचना सरकारी स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ड.) और (च): कंपनी विधेयक, 2012 में पहली बार सीएसआर संबंधी प्रावधान रखे गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ टर्नओवर/निवल लाभ आदि की विहित सीमा की अर्हता प्राप्त कंपनियों से पिछले तीन वर्षों के उनके औसत निवल लाभ का 2% सीएसआर संबंधी गतिविधियों पर व्यय करने की अपेक्षा है।

*****